संख्या / II–2008–04(04)/04

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 30 मई 2008

विषय : जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक मार्जिनल बन्ध बनाने के केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए वर्ष 2008–09 में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1570/मु0अ0वि0/सि0वि0/बजट बी–1 योजना दिनांक 3.4.08 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में केन्द्रपुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित "जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक मार्जिनल बन्ध बनाने की योजना" लागत रू0 1192.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं0 3035/II–2004–04 (28)/03 दि0 16.8.04 द्वारा दी गयी थी, के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 41(6)/PF-I-2007-358 दिनांक 31.03.2006 के द्वारा अवमुक्त रू0 347.00 लाख के विपरीत रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्य के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

............2

6— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

9— धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01—बाढ़ नियंत्रण आयोजनागत, 103—सिविल निर्माण कार्य, 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 01—नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें, 24—वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 559/XXVII (2)/2008 दिनांक 22.05.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या ।)(३ / ।।—2008—04(04)/03तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3— वित्त अनुभाग—2
4— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट,अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड।
7— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव